

नामान्तरण की ऑनलाइन व्यवस्था

- नगर निगम, आगरा द्वारा सम्पत्तियों के नामान्तरण हेतु अप्रैल-2013 से ऑनलाइन आवेदन एवं उनके निरस्तारण की व्यवस्था लागू की गई है।
- यदि किसी व्यक्ति को बैनामे से, वरासत से, दान से, हिबेनामा नामा से या अन्य किसी माध्यम से कोई सम्पत्ति प्राप्त होती है तो कर जमा करने के उद्देश्य से वह अपना नाम नगर निगम के कर अभिलेखों में ऑनलाइन आवेदन करके दर्ज करा सकता है उसे नगर निगम आने की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होने पर सम्बन्धित जोनल अधिकारी एक सप्ताह के अन्दर स्थलीय एवं अभिलेखों की जाँच कराकर सभी पक्षों को नोटिस नियमों के अर्न्तगत जारी करेगा।
- यदि किसी पक्ष से आवेदन पर एक माह में आपत्ति नहीं आती है तथा जाँच में आवेदन के तथ्य सही पाये गये थे तो आवेदक का नाम पूर्व स्वामी का नाम काटकर नगर निगम के कर अभिलेखों में दर्ज कर दिया जावेगा तथा आदेश वेबसाइट पर डाला जावेगा जिसे आवेदक घर बैठे प्रिन्ट कर सकता है। यदि कोई आपत्ति आती है तो सुनवाई करके निर्णय किया जावेगा।

[More](#)